Email

झारखण्ड सरकार
वाणिज्य–कर विभाग।

पत्र संख्या–राज01 वि0पत्रा0 24–33 / 2011–337 (अनु0) राँची, दिनांक–28/1/16

प्रेषक,

बैजनाथ राम,
सरकार के संयुक्त सचिव।

सेवा में,

झारखण्ड वित्त सेवा के सभी पदाधिकारी
(कोषागार में पदस्थापित वित्त सेवा के पदाधिकारी सहित)।

विषय :– अद्यतन सम्पति विवरणी ससमय उपलब्ध कराने के संबंध में।

प्रसंगः– कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग, झारखण्ड का पत्रांक 2423 दिनांक 16.03.15

महोदय / महोदया,

उपर्युक्त प्रासंगिक पत्र के अनुसार **"राज्य सरकार द्वारा यह निर्णय लिया गया है कि भविष्य में अखिल भारतीय सेवा संवर्ग एवं राज्य संवर्ग के पदाधिकारी / कर्मचारी अगर ससमय अपनी सम्पति की विवरणी अपने निर्धारित प्राधिकार को समर्पित नहीं करते हैं तो वैसी स्थिति में उनकी अगली प्रोन्नति पर विचार नहीं किया जाये।"**

अतः उक्त प्रासंगिक पत्र की छाया प्रति संलग्न करते हुए निदेशानुसार कहना है कि जिन पदाधिकारियों द्वारा अब तक अद्यतन सम्पति विवरणी मुख्यालय को उपलब्ध नहीं कराया गया, वे दो दिनों के अन्दर उपलब्ध कराने की कृपा करें अन्यथा प्रोन्नति बाधित होने के लिए वे स्वयं जिम्मेवार होंगे।

विश्वासभाजन

अनु0–यथोक्त।

28/1/16
सरकार के संयुक्त सचिव।

129
(10)

पत्रांक – 1/ विविध–810/2015 का0 2423.

झारखंड सरकार

कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग

प्रेषक,

राजीव गौबा,
मुख्य सचिव।

सेवा में,

सभी अपर मुख्य सचिव/महानिदेशक, पुलिस
सभी प्रधान सचिव/सचिव
सभी प्रमंडलीय आयुक्त
सभी उपायुक्त, झारखंड

रांची, दिनांक 16/3/15

विषयः सम्पत्ति विवरणी ससमय उपलब्ध कराने का प्रभाव निगरानी स्वच्छता एवं प्रोन्नति पर पड़ने के संबंध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषय के संबंध में कहना है कि सरकार के सभी पदाधिकारियों (चतुर्थ वर्गीय को छोड़कर) को अपनी सम्पत्ति विवरणी देनी है। परन्तु यह देखा जा रहा है कि कई पदाधिकारियों द्वारा यह ससमय नहीं दी जा रही है।

अखिल भारतीय सेवा एवं राज्य सरकार के पदाधिकारियों एवं कर्मचारियों के लिए सम्पत्ति विवरणी उपलब्ध कराने का प्रावधान निम्नवत् हैः–

1) अखिल भारतीय सेवा

(क) अखिल भारतीय सेवाएं (आचरण) नियमावली, 1968 के नियम 16 (2)

(ख) लोकपाल एवं लोकायुक्त अधिनियम, 2013 की धारा–44

2) राज्य सेवा के पदाधिकारी/कर्मचारी

(क) सरकारी सेवक आचार नियमावली, 1976 के नियम–19

(ख) कार्मिक, प्र0सु0 तथा राजभाषा विभाग, झारखंड, रांची की अधिसूचना संख्या – 9519 दिनांक 22.09.2014

उपर्युक्त प्रावधानों के अन्तर्गत सभी सरकारी सेवकों को अपनी चल/अचल सम्पत्ति की विवरणी निश्चित अवधि में उपलब्ध कराने का दायित्व निर्धारित है। अतः राज्य सरकार द्वारा यह निर्णय लिया गया है कि भविष्य में अखिल भारतीय सेवा संवर्ग एवं राज्य संवर्ग के पदाधिकारी/कर्मचारी अगर ससमय अपनी सम्पत्ति की विवरणी अपने निर्धारित प्राधिकार को समर्पित नहीं करते हैं तो वैसी स्थिति में उनकी अगली प्रोन्नति पर विचार नहीं किया जाये।

अनुरोध है कि उपर्युक्त निदेशों का दृढ़तापूर्वक अनुपालन सुनिश्चित किया जाए।

विश्वासभाजन,

(राजीव गौबा)
मुख्य सचिव।